भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1450

09 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: असम में जैविक और प्राकृतिक खेती

1450. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने किसानों का पंजीकरण किया गया है;

(ग) क्या किसी जिले की पहचान जैविक खेती के क्लस्टर के रूप में की गई है; और

(घ) जैविक उत्पादों के प्रमाणन, प्रशिक्षण और विपणन के लिए क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): असम राज्य में वर्ष 2015-16 से जैविक खेती को पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्ष 2024-25 से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक असम में एमओवीसीडीएनईआर के तहत गठित 479 एफपीओ के अंतर्गत 24,681 किसानों को कवर किया गया है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 31.10.2025 तक 30 क्लस्टरों में 3,750 किसानों को एनएमएनएफ के तहत कवर किया गया है।

(ग): जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन योजना का कार्यान्वयन एफपीओ के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रति एफपीओ औसतन 500 किसान होते हैं। एनएमएनएफ को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें 50 हेक्टेयर क्षेत्र का क्लस्टर आकार होता है जिसमें 125 किसान निकटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि, असम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसी भी जिले की जैविक खेती क्लस्टर के रूप में पहचान नहीं की गई है।

(घ): एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण, जैविक आदानों आदि के लिए किसानों को 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, इस योजना के तहत किसानों को ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैविक आदानों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत जैविक प्रमाणन हेतु तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मूल्य श्रृंखला विपणन के लिए तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
